राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांक : प.33(2)गृह/ग्रुप–9/2019 जयपुर, दिनांक : 11.05.2020

1. राज्य नोडल अधिकारी, लॉकडाउन अवधि के दौरान प्रवासियों के आव्रजन हेतु प्रभारी (समस्त राज्य)
2. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर
3. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान

विषय :– आवागमन हेतु पास/NOC बाबत् नवीनतम मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित पूर्व में जारी किये गये निर्देशों के अतिक्रमण में आवागमन हेतु पास/NOC के सम्बन्ध में नवीनतम निर्देश निम्नानुसार हैं :–

1. जिले के भीतर/अन्तर–जिला आवागमन

निजी वाहन से राज्य के किसी जिले के भीतर अथवा अन्तर–जिला अनुमत गतिविधियां (गृह विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2 मई, 2020 अनुसार) अथवा आपातकालीन/इमरजेन्सी (चिकित्सीय, निकटतम परिवार में मृत्यु, दुर्घटना आदि) आवागमन हेतु किसी पास की आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस सम्बन्ध में निम्न शर्तें लागू रहेंगी :–

(1) ऐसे व्यक्ति अपने साथ सरकारी/कम्पनी/निजी पहचान पत्र, एवं वाहन चालक ड्राईविंग लाईसेंस, साथ में रखेंगे।

(2) यह व्यवस्था किसी भी कंटेंमेंट जोन/कर्फ्यू क्षेत्र के लिए लागू नहीं होगी, जिसमें प्रवेश/निकासी के लिए जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस आयुक्त से पास लेना अनिवार्य है।

(3) उपरोक्त किसी भी प्रकार का आवागमन रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी दिवस में अनुमत नहीं है।

(4) गृह विभाग के आदेश दिनांक 2 मई, 2020 में वाहन में यात्री संख्या निम्नांकित से अधिक नहीं होगी :–

वाहन का प्रकार	प्रति वाहन अनुमत व्यक्तियों की संख्या		
	रेड जोन	ऑरेंज जोन	ग्रीन जोन
चौपहिया	चालक + 2	चालक + 2	चालक + 3
टैक्सी (चौपहिया)	चालक + 2	चालक + 2	चालक + 3
दोपहिया	केवल चालक	केवल चालक	चालक + 1
ऑटो/साईकिल रिक्शा	चालक + 1	चालक + 1	चालक + 2

(5) यदि उपरोक्त बिन्दु (1) के अतिरिक्त कोई अनाधिकृत व्यक्ति आवागमन करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जावेगी एवं वाहन भी जप्त हो सकता है।

2. राज्य के बाहर जाने के लिए

निजी वाहन से राज्य के बाहर जाने के लिए निम्न व्यवस्था होगी :–

(1) **ऑनलाईन पास ई मित्र पोर्टल** में पंजीकृत करने अथवा दूरभाष/मोबाईल से **181** या 18001806127 पर फोन करने से प्राप्त किया जा सकता है। यह पास सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(2) **ऑफलाईन पास** यात्रा के लिये निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है :

(i) जिला मजिस्ट्रेट / सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार कार्यालय

(ii) पुलिस अधीक्षक /उप पुलिस अधीक्षक/एसएचओ कार्यालय

(iii) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी

(iv) महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र / क्षेत्रीय प्रबन्धक रीको– उद्योग मालिकों /कर्मचारियों / श्रमिकों के लिये

(v) अधीक्षण अभियन्ता खनिज (खनन संबंधी गतिविधियों के लिये)

(vi) जिला स्तरीय अधिकारी – विभाग से संबंधित किसी भी गतिविधि के लिये

उपरोक्त निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

a. यदि कोई वाहन राज्य से किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) को गन्तव्य तक छोडने के लिये भेजा जाता है, तो पास में स्पष्ट रूप से एक–तरफा यात्रा का और वापसी यात्रा केवल वाहन ओर चालक के लिये है, का उल्लेख होना चाहिए। इससे अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगेगी।

b. विभिन्न अधिकारियों द्वारा जारी किये गये पास की एक दैनिक रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत की जायेगी।

c. किसी भी दिन सायं 7 बजे से प्रातः 7 बजे के बीच ऐसा कोई आवागमन स्वीकार्य नहीं होगा।

d. प्रति वाहन यात्रियों की संख्या गृह विभाग के आदेश दिनांक 02.05.2020 में अनुमत अनुसार होगी, जिसका विवरण उपरोक्त अंकित है।

(3) **आपातकालीन पास**

आपातकालीन पास (जैसे कि चिकित्सकीय आपातकाल, परिवार में नजदीकी की मृत्यु या दुर्घटना आदि) उपरोक्त क्रम संख्या (i) से (iii) पर वर्णित किसी भी कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी कठिनाई के मामले में इसे 181 पर डायल करके टेलिफोनिक रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है, जो कॉल करने वाले को

डिस्ट्रीक्ट वॉर रूम से कनेक्ट करेगा, जहां से पास जारी किया जायेगा और तुरन्त वॉट्सअप / ईमेल पर भेजा जायेगा।

(4) **बस (राजकीय/निजी) या ट्रेन से आवागमन के लिये**

गन्तव्य राज्य द्वारा यात्रा के अनुमोदन के पश्चात्, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जायेगा।

(5) **प्रवासियों का डेटा**

बाहर जाने वाले प्रवासियों के लिये, प्रवासी का डाटा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, वॉर रूम की टीम के साथ साझा करने की आवश्यकता है ताकि पेन्डेन्सी को अपडेट करने के लिये सिस्टम में भी अपडेट किया जा सके।

0 नाम 0 मोबाईल नम्बर 0 गन्तव्य राज्य और जिला 0 जिले से

3. राज्य में अन्य राज्य से आवागमन

(1) राजस्थानी प्रवासियों को राज्य में किसी अन्य राज्य से किसी निजी/अनुबंधित वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति उद्गम (originating) राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये परमिट के आधार पर दी जायेगी। राज्य सरकार के किसी अधिकारी से एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) यदि किसी अन्य राज्य का पास जारी करने वाला प्राधिकारी, गैर निवासी राजस्थानी से राजस्थान की एनओसी मांगता है तो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एनओसी स्वीकृत की जायेगी। गैर निवासी राजस्थानी ई–मित्र पोर्टल पर या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित अन्य किसी ऑफलाईन माध्यम (E-mail, WhatsApp) से एनओसी ऑनलाईन प्राप्त कर सकता है। किसी भी समस्या के मामले में व्यक्ति 181 पर कॉल कर सकता है, एवं उसे इस प्रक्रिया में सुविधा प्रदान की जायेगी।

(3) किसी अन्य राज्य में फंसे हुये व्यक्तियों को जाकर लाने के लिये किसी वाहन को भेजने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑनलाईन या ऑफलाईन पास जारी किया जायेगा।

(4) राज्यों के बीच हुये आपसी समझौते के आधार पर रेल/बस द्वारा राज्य के अन्दर प्रवासियों के आवागमन के लिये प्रवासियों को प्राप्त करने वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एकत्रित एनओसी जारी की जायेगी।

(5) यदि राजस्थान के व्यक्ति किसी अन्य राज्य के विभिन्न हिस्सों में फसें हुये है, और राजस्थान के विभिन्न जिलों से संबंधित है तो दूसरे राज्य को एकत्रित एनओसी अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग द्वारा जारी की जायेगी और उस राज्य के लिये नियुक्त राज्य नोडल अधिकारी इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे।

4. आवक प्रवासियों का पंजीकरण :

- आवक प्रवासियों का आवागमन प्रपत्र 4 में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाना आवश्यक है। यह कार्य किसी भी राजकीय कार्मिक यहां तक कि ग्राम सेवक /पटवारी इत्यादि स्तर के द्वारा भी स्वयं की एसएसओ आईडी का उपयोग कर किया जा सकेगा।

- प्रवासियों के मोबाईल पर, यदि स्मार्ट फोन हो, RajCovidInfo एवं आरोग्य सेतु मोबाईल ऐप स्थापित किया जायेगा ।
- आदर्श रूप से ऐसे सभी व्यक्ति जो प्रवेश कर रहे हैं, उनका राज्य में प्रवेश स्थान पर पंजीकरण किया जाना उपयुक्त होगा। संबंधित जिला प्रशासन द्वारा इस उद्देश्य हेतु सीमा पर समुचित प्रबन्ध/व्यवस्थाऐं की जायेंगी।
- मार्गों पर चैक पोस्ट, विशेषकर जिले की सीमाओं पर, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है का प्रारंभिक पंजीकरण सुनिश्चित किया जाये ताकि क्रोस चैकिंग के लिये रिकोर्ड का संधारण किया जा सके।
- फिर भी ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो उनके गन्तव्य निवास स्थान (गांव/शहर–वार्ड/कॉलोनी आदि) में बिना पंजीकरण कराये पहुंच गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में गांव/वार्ड जहां ऐसे व्यक्तियों के निवास स्थित हैं मॉनिटरिंग हेतु महत्वपूर्ण होंगे। इस संबंध में समसंख्यक पत्र दिनांक 26.4.2020 द्वारा जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना कराई जावे।
- बीएलओ का उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक नये आगमन की सूचना उसको प्राप्त हो जिससे कि उनका पंजीकरण फॉर्म 4 में सुनिश्चित किया जा सके एवं तत्पश्चात् स्क्रीनिंग हो सके और होम कॉरन्टीन कराने हेतु आदेश जारी कर उनकी अनुपालना करायी जा सके।
- इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी और ग्राम सेवक की भी जिम्मेदारी होगी एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी सत्यापन एवं पंजीकरण (प्रपत्र–4) में दैनिक आधार पर किये जा रहे हैं और संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।
- यह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश दिनांक 3.4.2020 द्वारा बनाये गये ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप तथा शहरी क्षेत्र में बीएलओ, पटवारी, बीट पुलिस कॉन्स्टेबल एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कोर ग्रुप के पूर्ण पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
- प्रत्येक क्षेत्र के जिम्मेदार निवासियों की एक स्थानीय समिति (गांव/मोहल्ला स्तर) बनायी जानी चाहिए एवं जिसे बीएलओ/ पटवारी /अन्य शहरी नामित कार्मिकों को सूचना देने के लिये उत्तरदायी बनाया जाये। इन सरकारी कर्मियों के सम्पर्क नम्बर इस समिति के सदस्यों को उपलब्ध करा दिये जायें।
- उन लोगों कि माईग्रेशन स्थिति, जो पहले ही अन्य राज्यों से राज्य में प्रवेश कर गये हैं, का प्रवासी डेटा भी प्रपत्र–4 में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के साथ साझा किया जाये ताकि लम्बित प्रकरणों को अपडेट करने के लिये ई–मित्र एप्लीकेशन में भी इसे अद्यतन किया जा सके।

5. प्रवासी व्यक्तियों का अनिवार्य क्वारन्टीन

- **सार्वजनिक सुरक्षा के लिये होम/संस्थागत क्वारन्टीन की अक्षरशः कठोर पालना किया जाना नितान्त आवश्यक है।**
- राज्य सरकार के पूर्व निर्देशों के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो अन्य राज्यों से राज्य में आये हैं, की जांच (स्क्रीनिंग) एवं घर पर 14 दिन के लिये क्वारन्टीन किया जाना अनिवार्य होगा।

- किसी आईएलआई (Influenza like illness) लक्षणों के मामले में, या गृह क्वान्टीन संभव नहीं हो तो, उनको ग्राम पंचायत निर्धारित/शहर के स्तर पर निर्दिष्ट संस्थागत केन्द्र में क्वारन्टीन किया जायेगा। इन केन्द्रों पर प्रोटोकॉल की सख्त पालना कराई जायेगी तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति अवधि पूर्ण होने से पहले केन्द्र नहीं छोड़े, इसके लिये परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी।

- जिला कलक्टर द्वारा गठित ग्राम पंचायत/वार्ड स्तरीय कोर ग्रुप पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिये जिम्मेदार होगा। किसी व्यक्ति द्वारा शर्तों की कोई भी उल्लंघना करने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट/जिला प्रशासन को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित की जायेगी।

- **जिम्मेदार निवासियों (गांव/मोहल्ला स्तर) की स्थानीय समिति द्वारा भी इस बाबत् संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जायेगा।**

- जो कोई व्यक्ति होम क्वारन्टाईन का उल्लंघन करता है और बाहर निकलता है, को संस्थागत क्वारन्टीन किया जायेगा और 14 दिवस की अवधि के लिय एकान्तवास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निर्देशों की पालना नहीं करने के लिये आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी जायेगी।

6. पारगमन यात्रा अनुमति : एक राज्य से राजस्थान होते हुए दूसरे राज्य को

पारगमन यात्री, जो एक राज्य से दूसरे राज्य को गन्तव्य राज्य सरकार की सहमति से राजस्थान से होकर यात्रा कर रहे हैं (गन्तव्य राज्य सरकार की विशिष्ठ अनुमति के साथ) को राज्य के अन्दर प्रवेश करने और पारगमन की अनुमति दी जा सकती है।

यदि कोई राज्य सरकार अपने व्यक्तियों को राजस्थान के अन्दर से पारगमन करने के लिये राज्य सरकार को सामान्य सहमति देती है तो उसे राजहोम पर सूचित किया जायेगा और उस राज्य को जाने वाले सभी वाहनों को सहमति प्रदान की जायेगी।

तथापि ऐसे सभी प्रकरणों में उस व्यक्ति के दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाये जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति उसी राज्य का है जहाँ जाने के लिए वह यात्रा कर रहा है।

(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग विभाग।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

(पी.सी.बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह